

NT>

Title: Regarding reported childhood marriages in Amravati District of Maharashtra.

श्री अनंत गुढे (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मामले की ओर दिलाना चाहता हूँ कि राजस्थान में जो बाल-विवाह होते थे, अभी उन बाल विवाहों का सिलसिला महाराष्ट्र में भी शुरू हो गया है और फिलहाल 19-20 और 21 नवम्बर को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में 26 बाल-विवाह हुए जिसमें नौ साल की बच्ची और बारह साल का बच्चा तथा बारह साल की बच्ची और पन्द्रह साल का बच्चा, ऐसे 26 बाल-विवाह पुलिस कमिश्नर के एरिया में सम्पन्न हुए। अभी तक वहां पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है, पुलिस देखती रह गई और तीन दिन बड़ी मात्रा में यह प्रोग्राम चलता रहा। राजस्थान के काठवाड़ी समाज के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने यह प्रोग्राम वहां पर आयोजित किया। राजस्थान में बाल-विवाह पर पाबन्दी है, पूरे देश में पाबन्दी है और महाराष्ट्र में काठियावाड़ी समाज के लोग महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था बिगाड़ने काम कर रहे हैं। वहां पर 26 बाल-विवाह हुए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अमरावती के पुलिस कमिश्नर ने यह मंजूर किया है कि वहां इस तरह की शादियां हुई हैं लेकिन अभी तक उनके उमर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके पानी की व्यवस्था और बाकी सब व्यवस्था भी वहां इन्होंने की। महाराष्ट्र में कानून की स्थिति गंभीर है और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में लगातार हो रही हैं। सारे न्यूज-पेपर्स में यह बात आई है। (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Anant Gudhe, you have already stated your matter.

श्री अनंत गुढे : मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती कर रहा हूँ कि जो लोग दोगी हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आगे चलकर इस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में बार-बार न हों क्योंकि आज वहां बाल-विवाह हो रहा है, कल वहां कुछ और घटना हो सकती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार रोक लगाए।